न्यायालय अपर सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट न्याय कक्ष सं०–03, बुलन्दशहर

दिनांक- 09.12.2022

आदेश

आपराधिक वाद सं० 640 सन 2022 मु०अ०सं० 70 सन 2019 सरकार बनाम नूरदीन अर्न्तगत धारा 498A, 323,504,506,भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना अगौता जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त **नूरदीन पुत्र युसूफ** न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आज तक के लिये अन्तरिम जमानत पर था । उनकी जमानत हेतु विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने की याचना की है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मध्यस्थता केन्द्र की आख्यानुसार पक्षकारो मे समझौता हो चुका है। परिवादिनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक तौर पर कथन किया कि अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर उसे कोई आपत्ति नही है।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु उचित एवं पर्याप्त आधार हैं। अतः अभियुक्त को 20,000/– रुपये के दो प्रतिभू एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(श्रीमती अम्बुज मिश्रा)
अपर सिविल जज (जू.डि.)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्याय कक्ष सं० 03, बुलन्दशहर।
J.O. Code – UP03384